

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑनलाईन प्रस्ताव क्रम संख्या / FP/MP/IRRIG/33191/2018

7	परियोजना/स्कीम का स्थान			
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(i)	मध्यप्रदेश	-
(ii)	जिला	(ii)	रतलाम	-
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वनमण्डल रतलाम/वन परिक्षेत्र बाजना, के वनखण्ड माही भाग-5 बीट कुन्दनपुर आवेदित क्षेत्र 14.220 हेक्टेयर जिसका विवरण निम्नानुसार है :- (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में -	
			परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम
			01	02
			बाजना	माही भाग-5
				योग
				कक्ष क्रमांक
				03
				P-83
				P-85
				14.220
			(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में -	
			परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम
			01	02
				03
				04
				05
				निरंक
			कुल आवेदित क्षेत्रफल 14.220 हे.	
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	(iv)	14.220 हेक्टेयर	
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	संरक्षित वन क्षेत्र	
(vi)	वनों का घनत्व	(vi)	आवेदित वनक्षेत्र पुनर्स्थापना कार्यवृत्त का है जिसका घनत्व 0.2 से कम तक है।	

(vii) आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई/विद्युत परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर और एफ.आर.एल.-4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।

(vii)

आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार प्रमुख वनस्पति प्रजातियां पायी जाती है।

अनु. क्रमांक	प्रजाति का स्थानीय नाम	वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम
1	करंज	<i>Pongamia pillata</i>
2	सागौन	<i>Tectona arandis</i>
3	खेजड़ा	<i>Acacia leucophloea</i>
4	पलास	<i>Butea monosperma</i>
5	साजड़ा	<i>Terminalia Tamentosa</i>
6	पीपल	<i>Ficus religiosa</i>
7	नीम	<i>Azadirachta indica</i>
8	बहेड़ा	<i>Terminalia belerica</i>
9	हल्दू	<i>Adina cordifolia</i>
10	तेन्दू	<i>Diosporus melanoxylon</i>
11	आकाश नीम	<i>Azadirachta indica</i>

आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :-

प्रजाति	गोलाई वर्गवार संख्या							कुल
	31-60	61-90	91-120	121-150	150 से अधिक			
करंज	-	-	2	1	-	-	3	
सागौन	99	104	66	9	2	-	280	
खेजड़ा	1	-	-	-	-	-	1	
पलास	44	20	21	2	-	-	87	
साजड़ा	-	-	-	1	1	-	2	
पीपल	1	-	2	-	-	-	3	
नीम	1	-	-	-	-	-	1	
बहेड़ा	-	-	1	1	1	-	3	
हल्दू	-	-	1	1	1	-	3	
तेन्दू	18	10	8	1	-	-	37	
महानीम	2	1	-	-	-	-	3	
योग :-	166	135	101	16	5	-	423	

आवश्यक नहीं है।

(viii)

भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर सम्भावित भू-क्षरण बाबत)

(viii)

(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	(ix)	आवेदित क्षेत्र संरक्षित वनखण्ड माही भाग-5 के वन कक्ष क्रमांक पी-83, पी-85 की सीमा में है।																																								
(x)	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जाए)	(x)	आवेदित क्षेत्र सैलाना अभ्यारण से लगभग 70.00 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है।																																								
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हों/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	(xi)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">प्रजाति</th> <th colspan="2">स्थिति (कृपया टिक करें)</th> </tr> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>स्थानीय नाम</th> <th>वैज्ञानिक नाम</th> <th>दुर्लभ</th> <th>संकटापन्न</th> <th>विशिष्ट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> <td>निरंक</td> <td></td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)		अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट	1.						2.						3.	निरंक			4.						5.					
प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)																																									
अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट																																						
1.																																											
2.																																											
3.	निरंक																																								
4.																																											
5.																																											
(xii)	क्या कोई संरक्षित पुरात्त्ववीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	(xii)	आवेदित क्षेत्र तथा इसके आसपास में संरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। इस संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।																																								
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	8	आवेदित क्षेत्र के चयन में तीन विकल्प मानचित्र एवं तुलनात्मक प्रपत्र संलग्न है।																																								
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हों, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं?	9	नहीं																																								
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -																																										

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	(i)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन मण्डल रतलाम में वन परिक्षेत्र सैलाना के ग्राम कसेर तह. पिपलोदा के अन्तर्गत भूमि सर्वे नम्बर 118/4, रकबा 14.220 हेक्टेयर उपलब्ध कराया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वनसंरक्षक) का प्रमाण-पत्र	(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र वनमण्डलाधिकारी-रतलाम द्वारा प्रमाणित किया गया है।
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट-कॉपी)-5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटपारी मानचित्र 16 इंच=1 मील) भी संलग्न किया जावे।	(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूचित लागत ढाचा आदि	(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजाति एवं प्रतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन संबंधी योजना वनमण्डलाधिकारी-रतलाम द्वारा तैयार किया गया है, जो संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	वनमण्डलाधिकारी श्री डॉ शैलेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक <u>5/3/2025</u> निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	12	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 486100 हेक्टेयर है।
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र 49462.636 हेक्टेयर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.16% है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(iii)	अभी तक जिले में 20 प्रकरणों में कुल 330.622 हेक्टेयर वन क्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया।

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)

(iv)

दिनांक 24-10-1980 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 17 प्रकरणों में कुल 308.622 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है :-

वर्ष	दुगने विगड़े वन क्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग
1989	-	-	20.350	-	20.350
1990	-	-	7.880	-	7.880
1990	-	-	6.600	-	6.600
1999	-	16.6	8.300	-	24.900
1999	-	-	19.120	-	19.120
2006	-	-	13.318	-	13.318
2007	-	-	39.590	-	39.590
2010	-	-	8.260	-	8.260
2010	-	-	4.240	-	4.240
2014	-	-	98.780	-	98.780
2015	-	-	20.780	-	20.780
2016	-	-	36.110	-	36.110
2017	-	-	12.400	-	12.400
2017	-	-	12.380	-	12.380
2018	-	-	0.414	-	0.414
2019	-	-	0.100	-	0.100
योग :-		16.6	308.622	-	325.222

(क) वनभूमि पर 16.600 हेक्टेयर

(ख) वनेत्तर भूमि पर 308.622 हेक्टेयर

स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 325.222 हेक्टेयर

अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है,

वर्ष	दुगने विगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय लाख में
1992-93	-	-	20.350	-	20.350	1.87
99-2000	-	16.600	-	-	16.600	1.82
2010-11	-	-	39.590	-	39.590	57.07
2013-14	-	-	26.700	-	26.700	57.70
2014-15	-	-	8.260	-	8.260	23.35
2016-17	-	-	105.000	-	105.000	160.71
2016-17	-	-	27.000	-	27.000	49.72
2017-18	-	-	20.780	-	20.780	43.00

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(v)

